सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 771 राँची, शुक्रवार, 4 अक्टूबर, 2019 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

26 सितम्बर, 2019

संख्या-एल०जी०-04/2019-287/लेज०--झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीया राज्यपाल दिनांक-19/09/2019 को अनुमति दे चूँकि है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019

(झारखण्ड अधिनियम-14, 2019)

"झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995" में संशोधन हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो

अध्याय -1

<u>प्रारंभिक</u>

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

(1) यह अधिनियम **झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019** कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरंत प्रभावी होगा।

अध्याय-2

"झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995'' में संशोधन-

2. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की प्रस्तावना में वर्णित ''राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का उपबंध करने के लिए अधिनियम "वाक्यांश को **''राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का उपबंध करने के लिए अधिनियम"** वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 के धारा-2 के उपधारा-(ख) में वर्णित, ''बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट विभाग" को **''झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली के द्वारा निर्दिष्ट विभाग"** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 के धारा-2 के उपधारा-(ग) में वर्णित, ''व्यावसायिक पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है, अभियंत्रण, चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, फार्मेसी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, मत्स्य, डेयरी, वानिकी में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम तथा इसमें शामिल है समान प्रकृति का कोई अन्य पाठ्यक्रम" वाक्यांश को **''व्यावसायिक पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है, अभियंत्रण, बहुप्रावैधिकी, चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, फार्मेसी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, मत्स्य, डेयरी, वानिकी, B.Ed में डिप्लोमा/स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम तथा इसमें शामिल है संबंधित प्राधिकार द्वारा अनुशंसित समान प्रकृति का कोई अन्य पाठ्यक्रम"** वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-2 की उपधारा-(घ) में वर्णित, ''विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा संचालित तथा सम्पोषित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान, वाक्यांश को **''विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार/निजी क्षेत्र/सार्वजनिक निजी भागीदारी Public Private Partnership (PPP) द्वारा संचालित तथा संपोषित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान"** वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-2 की उपधारा-(ङ) एवं उपधारा-(च), धारा-4 एवं धारा-13 की उपधारा-(1) एवं उपधारा-(5) में वर्णित "बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्" वाक्यांश को **"झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्"** वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-3 की उपधारा-(1) में वर्णित, "किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री आदेश अथवा किसी अधिनियम, नियम या परिपत्र में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अभियंत्रण, चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, फार्मेसी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा-विज्ञान, मत्स्य, डेयरी, वानिकी के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों तथा समान प्रकृति के अन्य पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जायेगा" वाक्यांश को **"किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री आदेश अथवा किसी अधिनियम, नियम या परिपत्र में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अभियंत्रण, बहुप्रावैधिकी, चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, फार्मेसी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा-विज्ञान, मत्स्य, डेयरी, वानिकी, B.Ed. के डिप्लोमा/स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम तथा इसमें शामिल समान प्रकृति का कोई अन्य पाठ्यक्रम जो संबंधित प्राधिकार द्वारा अनुशंसित हो, के प्रथम वर्ष/पाश्र्वीय प्रवेश (Lateral Entry) से द्वितीय वर्ष में प्रवेश, झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा/अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा या अन्य परीक्षा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णयित, के आधार पर किया जायेगा"** वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

8. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 के धारा-5 में वर्णित, **"संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का गठन-** संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का गठन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित रीति से किया जा सकेगाः-

(i) सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार - **अध्यक्ष**

(ii) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, पशु एवं मत्सय पालन विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित आयुक्त एवं सचिव/ सचिव स्तर के अधिकतम दो पदाधिकारी - **सदस्य**

(iii) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्सय पालन विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित अधिकतम दो राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष - **सदस्य**

(iv) चिकित्सा महाविद्यालयों में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य - **सदस्य**

(v) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य - **सदस्य**

(vi) कृषि, मत्स्य, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, कृषि अभियंत्रण एवं वानिकी महाविद्यालयों के प्राचार्यो तथा संजय गांधी गव्य प्राद्योगिकी संस्थान के निदेशक में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य/निदेशक - **सदस्य**

(vii) निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग - **सदस्य सचिव**

वाक्यांश एवं अंक को निम्न वाक्यांश एवं अंक से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का गठन-संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का गठन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित रीति से किया जा सकेगा:-

(i) सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड - **अध्यक्ष**

(ii) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग तथा उद्योग विभाग में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव स्तर के अधिकतम दो पदाधिकारी - **सदस्य**

(iii) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग तथा उद्योग विभाग में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित अधिकतम दो राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष - **सदस्य**

(iv) चिकित्सा महाविद्यालयों में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य/निदेशक - **सदस्य**

(v) विश्वविद्यालय/राजकीय अभियंत्रण/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य/निदेशक - **सदस्य**

(vi) कृषि, मत्स्य, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, कृषि अभियंत्रण एवं वानिकी महाविद्यालयों के प्राचार्यो/निदेशक में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य/निदेशक - **सदस्य**

(vii) निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग -**सदस्य सचिव**

9. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-6 की उपधारा-(i) में वर्णित, ''बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन करना" वाक्यांश को **''झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन करना"** वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

10. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-6 में एक नई उपधारा-(X) को निम्नवत् समाहित किया जाएगा ।

(X) **''नामांकन प्रक्रिया के लिए नीति एवं रीति का निर्धारण"**

11. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-8 की उपधारा-(क) में वर्णित, ''प्रश्न पत्रों का चयन एवं प्रश्न पत्रों तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण"वाक्यांश को **''प्रश्न पत्रों का चयन एवं प्रश्न पत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं एवं ओ0एम0आर0 Sheets (Optical Mark Recognition) का मुद्रण'** वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

12. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-8 की उपधारा-(घ) में वर्णित, ''प्रश्न पत्रों/उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा केन्द्रो पर भेजना एवं वापस लाना, कूटबद्ध (कोडिंग) करना एवं कूट खोलना (डिकोडिंग)'' वाक्यांश को **''प्रश्न पत्रों/उत्तर पुस्तिकाओं/ओ0एम0आर0 Sheets (Optical Mark Recognition) को परीक्षा केन्द्रो पर भेजना एवं वापस लाना, कूटबद्ध (कोडिंग) करना एवं कूट खोलना (डिकोडिंग)''** वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

13. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 के धारा-8 के उपधारा-(ङ) में वर्णित, ''उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन "वाक्यांश को **''उत्तर पुस्तिकाओं/ओ0एम0आर0 Sheets (Optical Mark Recognition) का मुल्यांकन"** वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

14. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-8 की उपधारा-(ज) में वर्णित, "उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना" वाक्यांश को **"उत्तर पुस्तिकाओं/ओ0एम0आर0 Sheets (Optical Mark Recognition)/Digital Data को सुरक्षित रखना"** वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

15. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 के धारा-9 में वर्णित, "संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा" वाक्यांश को **"झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा/अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा या अन्य परीक्षा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णयित "** वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

16. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-14 की उपधारा-(1) एवं उपधारा-(3) में वर्णित, "महालेखाकार, बिहार" वाक्यांश को **"महालेखाकार, झारखण्ड"** वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

17. झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-16 में वर्णित, **"उत्तर पुस्तिकाओं का सुरक्षित रखा जाना-** संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी" वाक्यांश को **"उत्तर पुस्तिकाओं/ ओ0एम0आर0Sheet/Digital Data का सुरक्षित रखा जाना- "झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा/अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा या अन्य परीक्षा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णयित से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं/ओ0एम0आर0 Sheet का परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक एवं Digital data को पांच वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी"** वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

26 सितम्बर, 2019

संख्या-एल॰जी॰--04/2019-**288**/लेज॰,--झारखंड विधान सभा द्वारा यथापारित और माननीया राज्याल द्वारा दिनांक-19.09.2019 को अनुमत **झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND COMBINED COMPETITIVE EXAMINATION (AMENDMENT) ACT, 2019
(JHARKHAND ACT- 14, 2019)

An Act to amend the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act-1995 be enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the 70th year of the Republic of India as follows:

CHAPTER-1

Preliminary

1. Short title and commencement-

(1) This Act may be called "The Jharkhand Combined Competitive Examination (Amendment) Act, 2019"

(2) It shall come into force at once.

CHAPTER-2

Amendment to the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995

2. The words "To Provide for Combined Competitive Examination for entrance in graduate level vocational course of the Universities, colleges and Institutions in the state" mentioned in preamble of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"To Provide for Combined Competitive Examination for entrance in Diploma/Graduate/Post Graduate level vocational course of the Universities, Colleges and Institutions in the State"***

3. The words "Department" means the department referred to the Rules of Executive Business, Bihar, 1979" mentioned in sub-section-(b) of section-2 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"Department" means the department referred to the Rules of Executive Business, Jharkhand"***

4. The words "Vocational course" means a course in Engineering, Medical Science, Dentistry, Pharmacy, Veterinary Science, Agriculture Science, Fishery, Dairy, Forestry, of the graduate standard and includes any other course of the same nature"

mentioned in sub-section-(c) of section-2 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"Vocational course" means a course in Engineering, Polytechnic, Medical Science, Dentistry, Pharmacy, Veterinary Science, Agriculture Science, Fishery, Dairy, Forestry, B.Ed. of the Diploma/Graduate/Post Graduate standard and includes any other course of the same nature as recomended by the Concerned Authority"***

5. The words "University, college and institute" means any University, college and institute managed and maintained by the State Government" mentioned in sub-section-(d) of section-2 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"University, college and institute" means any University, college and institute managed and maintained by the State Government/Private Sector/Public Private Partnership (PPP)"***

6. The words "The Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board" mentioned in sub-section-(e), sub-section-(f) of Section-2, section-4 and sub-section-(1), sub-section-(5) of section-13 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"The Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Board"***

7. The words "Notwithstanding anything to the contrary contained in any decision, decree, order of any court or in any Act, rule or circular, the admission in the First year of the graduate standard of Engineering, Medical Science, Dentistry, Pharmacy, Veterinary Science, Agriculture Science, Fishery, Dairy, Forestry, and other courses of same nature shall be made on the basis of the Combined Entrance Competitive Examination" mentioned in sub-section-(1), of Section-3 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"Notwithstanding anything to the contrary contained in any decision, decree, order of any court or in any Act, rule or circular, the admission in the First year/Lateral entry for Second year of the Diploma/Graduate/Post Graduate standard of Engineering, Polytechnic Medical Science, Dentistry, Pharmacy, Veterinary Science, Agriculture Science, Fishery, Dairy, Forestry, B.Ed. and other courses of same nature as recomended by the Concerned Authority, shall be made on the basis of the***

Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination/All India Competitive Examination or other Examination as decided by the State Government"

8. The words and figure "**Constitution of Combined Entrance Competitive Examination Board-** The State Government shall constitution the Combined Entrance Competitive Examination Board from time to time in the following manner:-

(i)	Member, Board of Revenue, Bihar	-	Chairman
(ii)	Maximum two officers of the rank of Commissioner and Secretary to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from amongst Health, Medical Education and Family Welfare Department, Agriculture Department, Science and Technology Department, Animal Husbandry and Fisheries Department and Forestry and Environment Department.	-	Member
(iii)	Maximum two State level Head of the Department to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from amongst Health, Medical Education and Family Welfare Department, Agriculture Department, Animal Husbandry and Fisheries Department and Forest and Environment Department..	-	Member
(iv)	A Principal to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from the Medical Colleges.	-	Member
(v)	A Principal to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from the Government Engineering Colleges	-	Member
(vi)	A Principal/Director to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from the Principals of Colleges of Agriculture, Fisheries, Veterinary and Animal Husbandry, Agricultural Engineering and Forestry and the Director of the Institute of Sanjay Gandhi Dairy Technology	-	Member
(vii)	Director, Development of Science & Technology	-	Member Secretary

mentioned in Section-5 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the following words and figure ***"Constitution of Combined Entrance Competitive Examination Board- The State Government shall constitute the combined Entrance Competitive Examination Board from time to time in the following manner:-***

(i)	Member, Board of Revenue, Jharkhand	-	Chairman
(ii)	Maximum two officers of the rank of Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from amongst Dept. of Health, Medical Education and Family Welfare, Dept. of Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative, Dept. of Higher, Technical Education and Skill Development, Dept. of Forest, Environment and Climate Change, Dept. of Labour, Employment & Training And Department of Industry.	-	Member
(iii)	Maximum two State Head of the Department to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from amongst Dept. of Health, Medical Education and Family Welfare, Dept. of Agriculture, Animal Husbandry and Co-	-	Member

operative, Dept. of Forest, Environment and Climate Change, Dept. of Labour, Employment & Training And Department of Industry.

(iv)	A Principal/Director to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from the Medical Colleges.	-	Member
(v)	A Principal / Director to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from the University/Government Engineering/Government Polytechnic Colleges	-	Member
(vi)	A Principal/Director to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from the Principals/Director of Colleges of Agriculture, Fisheries, Veterinary and Animal Husbandry, Agricultural Engineering and Forestry	-	Member
(vii)	Director, Technical Education Directorate (Department of Higher, Technical Education and Skill Development.)	-	Member Secretary

9. The words "To conduct the Bihar Combined Entrance Competitive Examination" mentioned in sub-section-(i) of section-6 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"To conduct the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination"***

10. In section-6 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, a new sub-section (x) shall be inserted as follows:

    (x) ***"To decide policy and mode of admission process"***

11. The words "The setting of the question papers and printing of the question papers and answer books" mentioned in sub-section-(a) of section-8 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"The setting of the question papers and printing of the question papers, answer books and Optical Mark Recognition Sheets"***

12. The words "Despatch and receipt of question papers/answer books to and from the examination centres and their coding and decoding" mentioned in sub-section-(d) of section-8 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"Despatch and receipt of question papers/answer books/Optical Mark Recognition Sheets to and from the examination centres and their coding and decoding"***

13. The words "Evaluation of answer books" mentioned in sub-section-(e) of section-8 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"Evaluation of answer books/Optical Mark Recognition Sheets"***

14. The words "Safe Custody of answer books" mentioned in sub-section-(h) of section-8 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"Safe Custody of answer books/Optical Mark Recognition Sheets /DigitalData"***

15. The words "Combined Entrance Competitive Examination" mentioned in section-9 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"The Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination/All India Competitive Examination or other Examination as decided by the State Government"***

16. The words "Accontant-General, Bihar" mentioned in sub-section-(1) and sub-section-(3) of section-14 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"Accontant-General, Jharkhand"***

17. The words "**Safe Custody of Answer Books**-The Answer books of the Combined Entrance Competitive Examinations shall be kept in safe custody for a period of one year from the date of declaration of the result" mentioned in Section-16 of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995, shall be substituted by the words ***"Safe Custody of Answer Books/Optical Mark Recognition Sheet/Digital Data—The Answer books/Optical Mark Recognition Sheet of the Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination/All India Competitive Examination or other Examination as decided by the State Government shall be kept in safe custody for a period of one year from the date of declaration of the result and the Digital Data be kept in safe custody for a period of five years "***

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 771 -- 50